राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मोहनलाल / सुखराम 309/2020 01/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/21	आज यह अपील पत्रावली एवम् रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वास्ते आदेश प्रस्तुत हुए। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2020 को प्रार्थी को सुना जाकर एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस आशय का जारी किया गया था कि उभयपक्षकारान् को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम आमेर, पटवार हल्का आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित वादअधीन विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे, यदि कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर पेश करें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जो कि आगामी तारीख पेशी तक दिया गया था, के विरूद्व इस न्यायालय के अप्रार्थी/अपीलार्थी मोहनलाल के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें रेस्पोडेन्ट के उपस्थित आने पर रेस्पोडेन्ट सुखाराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवम् आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत हुआ। अतः न्यायालय द्वारा मूल अपील एवम् रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर ईकजाई बहस सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने विभिन्न न्यायालयों की नजीरे प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से माननीय राजस्व मंडल अजमेर की फुल बैन्च द्वारा आर. आर.टी. 2014(1) पृष्ठ संख्या 409 में उद्रित विस्तृत निर्णय के पैरा संख्या 74 की ओर न्यायालय हाजा का ध्यान आकर्षित कराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जो कि आगामी तारीख पेशी तक जारी की गई है, माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रतिपादित निर्णय के अनुसार संधारणीय नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में निवेदन किया कि प्रार्थी के हक में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2020 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की है, जिसमें न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2020 को स्थगित रखने के आदेश दिये गये है जिसकी आड में अप्रार्थी/अपीलान्ट साज कर जमीन पर जबरन कब्जा कर, निर्माण करने पर आमादा है तथा जबरन बेची हुई भूमि पर क्रेता को अपने सहयोग से कब्जा कराने व पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है जबकि संयुक्त खाते की आराजीयात पर मौके पर कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13.08.2020 को अपील के निर्णय तक कन्फर्म फरमाया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मोहनलाल / सुखराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/9/2020, 01/2021	2	

अभिभाषक अपीलार्थी ने जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि आर.आर.टी. 2001(2) पृष्ठ संख्या 1071 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार एकपक्षीय आदेश के विरूद्व अपील का प्रावधान है इसमें प्रभावित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर है कि वह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्व अपील करें या उसी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का मार्ग अपनाने में कोई त्रुटि नहीं की है इस कारणवश अपीलार्थी की अपील संधारणीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत की है उसमे ही प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही ठहराने हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये, पृथक से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर पारित एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जो कि आगामी तारीख पेशी तक जारी की गई है, के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। इस संदर्भ में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की फुल बैन्च द्वारा आर.आर.टी. 2014(1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा नंबर 74 के प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम एकपक्षीय आदेश जो कि अग्रिम तारीख पेशी तक ही प्रभावित हो, के विरूद्व धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं हो सकती है। उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवम् आदेश 39 के तहत् पारित किये जाने वाले आदेशों के सन्दर्भ में अन्तर दर्शाया गया है जबकि अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्रित आर.आर.टी. 2001(2) पेज संख्या 1071 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 3 व आदेश 43 नियम 1 के सन्दर्भ में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में पारित एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जो आगामी तारीख पेशी तक पारित की गई है, के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जो माननीय राजस्व मंडल की फुल बैन्च द्वारा प्रतिपादित उक्त संदर्भित निर्देशों के अनुसार न्यायालय हाजा के समक्ष संधारणीय नहीं रहती। अतः अपील खारिज की जाती है। जहां तक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नम्बर व तारीख हुक्म अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	309/2020, 01/2021 मोहनलाल / सुखराम

प्रश्न है, चूंकि जिस अपील में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह मूल अपील ही संधारणीय नहीं रहने से खारिज की जा चुकी है। अतः अब यह प्रार्थना पत्र पृथक से संधारणीय नहीं रहने से खारिज किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 309/2020 मोहनलाल बनाम सुखराम एवम् रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 01/2021 खारिज किये जाते है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(ए) में निर्धारित अवधि एक माह में करें। आदेश की एक प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली शीघ्र प्रेषित की जावे। उभयपक्षकारान् को जरिये अभिभाषक पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.12.2021 को उपस्थित होकर, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का नियत समयावधि में निस्तारण हेतु सहयोग करें एवम् अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावलियां फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/11/21 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर